रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2012/फाल्गुन 15, 1933

No. 335] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2012/PHALGUNA 15, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

का.आ. 376(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 196(अ), तारीख 6 मार्च, 2000 और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 और अधिसूचना संख्या का.आ. 93(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002 द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 524.000 कि.मी. से 527.000 कि.मी. तक (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन), 34.800 कि.मी. से 463.632 कि.मी. तक (हैदराबाद से कर्नाटक/आंध्र प्रदेश बोर्डर सेक्शन), 463.632 कि.मी. से 524.000 कि.मी. तक (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) और 527.000 कि.मी. से 535.000 कि.मी. तक (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' कहा गया है) को सौंपा है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर 462.164 कि.मी. से 533.619 कि.मी. तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क निवल सड़क सेक्शन की लम्बाई 63.010 कि.मी. के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' कहा गया है) और ऐसे बाइपास जो दस करोड़ रुपए अथवा अधिक लागत से निर्मित हो विनिर्दिष्ट फीस का डेढ़ गुना होगी, उदगृहीत करती है, और प्राधिकरण को अपने पदाधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रह करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ. सं. म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ. मू. उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :—

1. नीचे उद्गृहीत तथा संग्रहीत शुल्क देय और ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की शुद्ध लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर देय होगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
464.774 कि.मी. (बागेपल्ली गांव के पास, चिचहाबालापुर जिले में)	63.010

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिनकी लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो विनिर्दिष्ट फीस का डेढ़ गुना होगी, का शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है
464.774 कि.मी. (बागेपल्ली गांव के पास, चिचहाबालापुर जिले में)	8.440

3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 (एक सौ नब्बे मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान कियाश जायेगा अर्थात् :

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों में प्रतिवर्ष संशोधन किया जाएगा ।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 492.40 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें प्रतिवर्ष संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/498/सीओ/09-10//जीसी-यालाहंका (462—533)]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

पाद टिप्पण :—यह भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3024(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2012

S.O. 376 (E).— Whereas *vide* notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000 and Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002 and S.O. 93(E), dated the 22nd January, 2002 issued under Section 11 of the

National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km 524.000—Km 527.000 (Hyderabad-Bangalore section), Km 34.800—Km 463.632 (Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh Border section) and Km 463.632—Km 524.000 (Hyderabad to Bangalore section) and from Km 527.00 to Km 535.00 (Hyderabad-Bangalore section) of National Highway No. 7 in the State of Andhra Pradesh and Karnataka respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 63.010 Km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from Km 462.164 to Km 533.619 (Andhra Pradesh/Karnataka Border to Devanhalli) on the National Highway No. 7 in the state of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE 1

Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Venicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :—

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable
Km/Ch. (464-774) (near Village Bagepalli in Chichaball pur District)	63.010

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in Km) for which additional fee is payable
Km/Ch. (464-774) (near Village Bagepalli in Chichaballapur District)	8.440

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 492.40 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/498/CO/2009-10/GC-Yelahanka (462-533)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Foot Note : This is in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3024(E), dated the 26th November, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such suppression.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.